बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 21 फरवरी, 2023 ई०।

संख्या–नि०को०–01/2022– 530/वि०स०। बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 के नियम 8(ख) के अधीन अध्यक्ष, बिहार विधान सभा सुरक्षा प्रहरी के पदों पर भरती की पद्धति/पद्धतियाँ, पाठ्यक्रम, विषय, परीक्षा का आकार, अंक एवं परीक्षाओं के संचालन के विनियमन के संबंध में अधिसूचना संख्या–नि०को०–1/2022–2363, दिनांक 08.11.2022 द्वारा निर्गत 'बिहार विधान सभा सचिवालय (सीधी भरती की पद्धतियाँ) आदेश, 2022' के परिशिष्ट में निम्नांकित संशोधन करते हैं:–

1. परिशिष्ट के पद्धति/आकार/अंक के अन्तर्गत निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:–
   "सर्वप्रथम एक (वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय) परीक्षा ऑफलाइन/ओ०एम०आर० (OMR) शीट के माध्यम से आयोजित होगी।"
2. परिशिष्ट की कंडिका–7 में परीक्षा शुल्क के अन्तर्गत निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:–
   "बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे वे किसी भी कोटि/वर्ग के महिला/पुरूष हों, के लिए ऑनलाइन आवेदन–पत्र का मूल्य 675/– (छः सौ पचहत्तर) रूपये तथा बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग/कोटि की महिला अभ्यर्थियों एवं थर्ड जेन्डर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन–पत्र का मूल्य 180/– (एक सौ अस्सी) रूपये है।"

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

(असीम कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

ज्ञापांक–नि०को०–01/2022– 531 /वि०स०, पटना, दिनांक– 21 फरवरी, 2023 ई०।

प्रतिलिपि:–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना एवं कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(असीम कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

ज्ञापांक–नि०को०–01/2022– 531 /वि०स०, पटना, दिनांक– 21 फरवरी, 2023 ई०।

प्रतिलिपि:–अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/अपर मुख्य सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(असीम कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

ज्ञापांक–नि०को०–01/2022– 531 /वि०स०, पटना, दिनांक– 21 फरवरी, 2023 ई०।

प्रतिलिपिः–माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव, माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

(असीम कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

ज्ञापांक–नि०को०–01/2022– 531 /वि०स०, पटना, दिनांक– 21 फरवरी, 2023 ई०।

प्रतिलिपिः–सभी उप सचिवगण/मुख्य प्रतिवेदक/उप निदेशक, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(असीम कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

ज्ञापांक–नि०को०–01/2022– 531 /वि०स०, पटना, दिनांक– 21 फरवरी, 2023 ई०।

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार सरकार का सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी सहित बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि यथा प्रकाशित अधिसूचना की 25 (पच्चीस) प्रतियाँ सभा सचिवालय को उपलब्ध करायी जाय।

(असीम कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

ज्ञापांक–नि०को०–01/2022– 531 /वि०स०, पटना, दिनांक– 21 फरवरी, 2023 ई०।

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, श्रव्य एवं दृश्य इकाई, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि सभा सचिवालय के वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

(असीम कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

<u>बिहार विधान सभा सचिवालय</u>

<u>अधिसूचना</u>

पटना, दिनांक–08 नवम्बर, 2022 ई०।

संख्या–नि०को०–01/2022–2363 /वि०स०। सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या–नि०को०–3/2018–5650, दिनांक 04.10.2018 के क्रम में बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 के नियम 8(ख) के अधीन अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, सभा सचिवालय में सुरक्षा प्रहरी के पदों पर भरती की पद्धति/पद्धतियाँ, पाठ्यक्रम, विषय, परीक्षा का आकार, अंक एवं परीक्षाओं के संचालन के विनियमन के संबंध में निम्नलिखित आदेश विनिर्दिष्ट करते हैं:–

<u>बिहार विधान सभा सचिवालय (सीधी भरती की पद्धतियाँ) आदेश, 2022</u>

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ– यह आदेश बिहार विधान सभा सचिवालय (सीधी भरती की पद्धतियाँ) आदेश, 2022 कही जा सकेगी।
2. यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।
3. बिहार विधान सभा सचिवालय में सुरक्षा प्रहरी के पदों पर सीधी भरती हेतु पद्धतियाँ वही होगी जो इस अधिसूचना के साथ संलग्न 'परिशिष्ट' में वर्णित है।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

8.11.2022

(असीम कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

ज्ञापांक–नि०को०–01/2022–2364 /वि०स०, पटना, दिनांक–08 नवम्बर, 2022 ई०।

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना एवं कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.11.2022

(असीम कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

ज्ञापांक–नि०को०–01/2022–2364 /वि०स०, पटना, दिनांक–08 नवम्बर, 2022 ई०।

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/अपर मुख्य सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

8.11.2022

(असीम कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

ज्ञापांक–नि०को०–01/2022–2364 /वि०स०, पटना, दिनांक–08 नवम्बर, 2022 ई०।

प्रतिलिपिः–माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव, माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

8.11.2022

(असीम कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

ज्ञापांक–नि०को०–01/2022– 2364 /वि०स०, पटना, दिनांक– 8 नवम्बर, 2022 ई०।

प्रतिलिपिः–सभी उप सचिवगण/मुख्य प्रतिवेदक/उप निदेशक/सभी अवर सचिवगण, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

8.11.2022

(असीम कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

ज्ञापांक–नि०को०–01/2022– 2364 /वि०स०, पटना, दिनांक– 8 नवम्बर, 2022 ई०।

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार सरकार का सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी सहित बिहार राजपत्र के आगामी असधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि यथा प्रकाशित अधिसूचना की 25 (पच्चीस) प्रतियाँ सभा सचिवालय को उपलब्ध करायी जाय।

8.11.2022

(असीम कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

ज्ञापांक–नि०को०–01/2022– 2364 /वि०स०, पटना, दिनांक– 08.11.22

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, श्रव्य एवं दृश्य इकाई, बिहार विधान सभा को अनुलग्न सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अनुलग्नक सहित सभा सचिवालय के वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

8.11.2022

(असीम कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

8.11.22

बिहार विधान सभा सचिवालय (सीधी भरती की पद्धतियाँ) आदेश, 2022

परिशिष्ट

बिहार विधान सभा सचिवालय में सुरक्षा प्रहरी की सीधी भर्त्ती की पद्धति/पद्धतियाँ, पाठ्यक्रम, विषय, परीक्षा का आकार, अंक एवं परीक्षाओं के संचालन आदि के निर्धारण के संबंध में विनियमनः–

शैक्षणिक योग्यताः राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इण्टरमीडिएट परिषद्/बोर्ड से किसी विषय में इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्ण।

पद्धति/आकार/अंकः–सर्वप्रथम एक कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय) होगी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों में से शारीरिक जाँच/दक्षता परीक्षा ली जायेगी।

1. कम्प्यूटर आधारित परीक्षाः–इस परीक्षा की अवधि 2 (दो) घंटे की होगी तथा इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे।

   यह परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा। अगर हिन्दी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे।

   इस परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे :–

   (क) गणित–प्रश्नों की संख्या 50 होगी।

   (ख) सामान्य अध्ययन–प्रश्नों की संख्या 50 होगी।

2. पाठ्यक्रम :– परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्न प्रकार है :–

   प्रारंभिक परीक्षा (सी.बी.टी.) का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मैट्रिक (10वीं) अथवा समकक्ष स्तर का होगा।

   (क) गणितः–

   संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि।

   (ख) सामान्य अध्ययन :– इसमें बिहार राज्य और भारत के संबंध में यथा सम्भव प्रश्न पूछे जायेंगे।

   (i) सम–सामयिक विषयः–महत्वपूर्ण राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम–सामयिक घटनायें, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं खेल–खिलाड़ी आदि।

   (ii) बिहार राज्य और भारत :–बिहार और भारत का इतिहास/संस्कृति/भूगोल/आर्थिक परिदृश्य/कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन एवं आन्दोलन में बिहार का योगदान।

3. प्रारंभिक परीक्षा (सी.बी.टी.) में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किये जायेंगे।

4. प्रारंभिक परीक्षा (सी.बी.टी.) में प्राप्त अंकों के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 10 गुणा प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक जाँच/दक्षता परीक्षा हेतु किया जायेगा।

5. प्रारंभिक परीक्षा (सी.बी.टी.) अंतिम मेधा सूची का अधार नहीं होगी। प्रारंभिक परीक्षा (सी.बी.टी.) केवल शारीरिक दक्षता/जाँच माप के लिए अर्हक (qualifying) होगी।

m/

6. <u>शारीरिक दक्षता परीक्षा</u>

शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। इसके अधीन एक स्पर्धा दौड़ होगी।

दौड़ – अधिकतम 100 (सौ) अंक।

सभी कोटि के पुरूषों के लिए – 1 (एक) मील (1.6 कि०मी०) [अधिकतम 06 मिनट में]

5 मिनट तक	– 100 अंक
5 मिनट से अधिक एवं 5 मिनट 20 सेकण्ड तक	– 80 अंक
5 मिनट 20 सेकण्ड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकण्ड तक	– 60 अंक
5 मिनट 40 सेकण्ड से अधिक एवं 6 मिनट तक	– 40 अंक

(6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।)

सभी कोटि की महिलाओं के लिए – 01 (एक) कि०मी० [अधिकतम 06 मिनट में]

5 मिनट तक	– 100 अंक
5 मिनट से अधिक एवं 5 मिनट 20 सेकण्ड तक	– 80 अंक
5 मिनट 20 सेकण्ड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकण्ड तक	– 60 अंक
5 मिनट 40 सेकण्ड से अधिक एवं 6 मिनट तक	– 40 अंक

7. <u>परीक्षा शुल्क</u>:–अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित (सामान्य) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आनलाईन आवेदन का शुल्क 500/– (पाँच सौ) रूपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आनलाईन आवेदन का शुल्क 125/– (एक सौ पच्चीस) रूपये निर्धारित की जा सकती है।

8. <u>मेधा सूची</u>:–सुरक्षा प्रहरी के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जायेगी।

नोटः सुरक्षा प्रहरी के पद पर सीधी भर्त्ती हेतु शारीरिक मानदंड एवं उम्र सीमा वही होंगे जो राज्य सरकार द्वारा सिपाही की भर्त्ती के लिए निर्धारित है।

बिहार विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना

पटना, दिनांक–24 नवम्बर, 2022 ई०।

संख्या–1स्था०–148/2017–2511 /वि०स० । बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 के नियम 3 के उप नियम (क) एवं (ख) के अध्यधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, वित्त विभाग के परामर्श से सभा सचिवालय की अनुसूची में निम्नवत् संशोधन करते हैं:–

1. अनुसूची के प्रशासनिक संवर्ग के क्रमांक–2 निदेशक के स्वीकृत बल कॉलम में '02 (दो)' के स्थान पर '07 (सात)' प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. अनुसूची के प्रशासनिक संवर्ग के क्रमांक–3 उप सचिव के स्वीकृत बल कॉलम में '11 (ग्यारह)' के स्थान पर '12 (बारह)' प्रतिस्थापित किया जाता है।

3. वित्त विभाग से प्रशासनिक संवर्ग के लिए उप सचिव के तीन परामर्शित पदों में से एक को संयुक्त निदेशक में परिवर्तित करते हुए अनुसूची के पुस्तकालय संवर्ग में क्रमांक–14 पर संयुक्त निदेशक (पुस्तकालय एवं शोध–संदर्भ) का एक नया पद जोड़ा जाता है तथा पूर्व के क्रमांक 14 पर के पद उप निदेशक (पुस्तकालय एवं शोध–संदर्भ) को एक नया क्रमांक 14A को सृजित करते हुये प्रतिस्थापित किया जाता है।.

4. वित्त विभाग से प्रशासनिक संवर्ग के लिए उप सचिव के तीन परामर्शित पदों में से एक को संयुक्त निदेशक में परिवर्तित करते हुए अनुसूची के सूचना, प्रसारण, प्रकाशन तथा जनसंपर्क संवर्ग में क्रमांक–19 पर संयुक्त निदेशक (जनसंपर्क) का एक नया पद जोड़ा जाता है तथा पूर्व के क्रमांक 19 पर के पद उप निदेशक (जनसंपर्क) को एक नया क्रमांक 19A को सृजित करते हुये प्रतिस्थापित किया जाता है:–

क्र.	पदनाम	वर्गीकरण	वेतनमान (सातवां वेतन आयोग के अनुशंसा के आधार पर)	पदों को भरे जाने का अनुपात		बहाली की रीति तथा नियुक्ति हेतु अर्हता	स्वीकृत बल
				प्रोन्नति	सीधी भर्त्ती		
			प्रशासनिक संवर्ग				
2	निदेशक	समूह–क राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर – 13	100%	---	बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती और सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2018 में यथाविनिर्दिष्ट रीति एवं अर्हता।	07 (सात)
3	उप सचिव	समूह–क राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर – 12	100%	---	बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती और सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2018 में यथाविनिर्दिष्ट रीति एवं अर्हता।	12 (बारह)
			पुस्तकालय संवर्ग				
14	संयुक्त निदेशक (पुस्तकालय संवर्ग)	समूह–क राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर – 12	100%	---	उप निदेशक (पुस्तकालय एवं शोध–संदर्भ) श्रेणी के वैसे व्यक्ति जो उप निदेशक (पुस्तकालय एवं शोध–संदर्भ) की श्रेणी में कम से कम पाँच वर्ष सेवा में रहे हों या संयुक्त रूप से उप निदेशक एवं सहायक निदेशक की श्रेणी में आठ वर्ष रहे हों।	01 (एक)
14A	उप निदेशक (पुस्तकालय संवर्ग)	समूह–क राजपत्रित	वेतन-संरचना में वेतन स्तर – 11	100%	---	सहायक निदेशक (पुस्तकालय एवं शोध–संदर्भ) श्रेणी के उन व्यक्तियों में से जो सहायक निदेशक (पुस्तकालय एवं शोध–संदर्भ) की श्रेणी में कम से कम छः वर्ष कार्यरत रहे हो।	01 (एक)

क्र.	पदनाम	वर्गीकरण	वेतनमान (सातवां वेतन आयोग के अनुशंसा के आधार पर)	पदों को भरे जाने का अनुपात		बहाली की रीति तथा नियुक्ति हेतु अर्हता	स्वीकृत बल
				प्रोन्नति	सीधी भर्ती		
			सूचना, प्रसारण, प्रकाशन तथा जनसंपर्क संवर्ग				
19	संयुक्त निदेशक (जनसंपर्क)	समूह—क राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर – 12	100%	--	उप निदेशक (जनसंपर्क) श्रेणी के वैसे व्यक्ति जो उप निदेशक (जनसंपर्क) की श्रेणी में कम से कम पाँच वर्ष सेवा में रहे हों या संयुक्त रूप से उप निदेशक एवं जनसंपर्क पदाधिकारी की श्रेणी में आठ वर्ष रहें हों।	01 (एक)
19 A	उप निदेशक (जनसंपर्क)	समूह—क राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर – 11	100%	--	जनसंपर्क पदाधिकारी श्रेणी के उन व्यक्तियों में से जो जनसंपर्क पदाधिकारी की श्रेणी में कम से कम पाँच वर्ष कार्यरत रहे हो।	01 (एक)

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

24/11/22

(पवन कुमार पाण्डेय)
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

ज्ञापांक–1स्था0–148/2017– 2512 / वि0स0, पटना, दिनांक–24 नवम्बर, 2022 ई०।

प्रतिः–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/11/22

(पवन कुमार सिन्हा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

ज्ञापांक–1स्था0–148/2017– 2512 / वि0स0, पटना, दिनांक–24 नवम्बर, 2022 ई०।

प्रतिः–अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/11/22

(पवन कुमार सिन्हा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

ज्ञापांक–1स्था0–148/2017– 2512 / वि0स0, पटना, दिनांक–24 नवम्बर, 2022 ई०।

प्रतिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/11/22

(पवन कुमार सिन्हा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

ज्ञापांक–1स्था0–148/2017– 2512 / वि0स0, पटना, दिनांक-24 नवम्बर, 2022 ई०।

प्रतिः–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा (वेतन)/बजट शाखा/स्थापना शाखा (05 प्रतियों में), बिहार विधान सभा सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/11/22

(पवन कुमार सिन्हा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

ज्ञापांक–1स्था0–148/2017– 2512 / वि0स0, पटना, दिनांक– 24 नवम्बर, 2022 ई०।

प्रतिः–माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के अवलोकनार्थ।

24/11/22

(पवन कुमार सिन्हा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

23-11-22

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 18 जनवरी, 2019 ई० ।

संख्या-1स्था०-165/2018- 154 / वि०स० । बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती और सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2018 की कंडिका-21 के अनुशरण में सॉतवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-3590, दिनांक-24.05.2017 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अनुमान्य पद संरचना में सहायक अवर निरीक्षक को स्वीकृत वेतन स्तर-5 एवं सिपाही को स्वीकृत वेतन स्तर-3 क्रमशः सहायक अवर मार्शल एवं सुरक्षा प्रहरी, बिहार विधान सभा सचिवालय के लिए लागू किया जाता है ।

एतद् विषयक् पूर्व में निर्गत अधिसूचना / आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

18.1.19
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-1स्था०-165/2018 155 / वि०स०, पटना, दिनांक- 18 जनवरी, 2019 ई० ।

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18.1.19
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-1स्था०-165/2018 155 / वि०स०, पटना, दिनांक- 18 जनवरी, 2019 ई० ।

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग एवं सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18.1.19
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-1स्था०-165/2018 155 / वि०स०, पटना, दिनांक- 18 जनवरी, 2019 ई० ।

प्रतिलिपिः- सभी निदेशक / उप सचिव / मुख्य प्रतिवेदक / अवर सचिवगण / सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण / लेखा शाखा / श्रव्य दृश्य ईकाई एवं स्थापन शाखा, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18.1.19
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-1स्था०-165/2018 155 / वि०स०, पटना, दिनांक- 18 जनवरी, 2019 ई० ।

प्रतिलिपि:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष एवं सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

18.1.19

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-1स्था०-165/2018 155 / वि०स०, पटना, दिनांक- 18 जनवरी, 2019 ई० ।

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार सरकार को सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी सहित बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि यथा प्रकाशित अधिसूचना की 10 (दस) प्रतियाँ सभा सचिवालय को उपलब्ध करायी जाय ।

18.1.19

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

18/01/19